Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : TARA NAGAR

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 29-09-2025 10:40 AM

Fee Receipt No	: 202502341005589	Receipt Date	: 29/09/2025
Name	: RAJENDRA PRASAD S/O SAHIRAM VILL.BAS SARAYAN,	Document S. No.	: 202501341005532
Address	: , , ,		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0

Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 100
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 30	Stamp Duty	: ₹ 100
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
SiteInspection Fees	: 0	**Cash Amount Received**	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 230
		Total Amount	: ₹ 230

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 111185907 ₹ 230

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

छाया प्रति प्रमाणित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

A 658166

उप कोष तारानगर

03 MAR 2011

II श्री II

दस्तावेज बैयनामा

मालयति रू.565000/–

स्टाम्प राशि रू.20000/–

आर्टिकल 23 राज. स्टाम्प एक्ट

अधिकतम शब्द सख्या करीबन छः सौ

श्री मदनमोहन पुत्र रामजीलाल उम्र 80 वर्ष जाति ब्राहम्ण साकिन तारानगर तहसील तारानगर जिला चुरू का हुं।

जिसे आगे विक्रेता कहा गया हैं एवं जो इस बैयनामा का प्रथम पक्षकार हैं।

एवं

श्री लक्ष्मी ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट आदमपुर जरिए सचिव श्री शीशराम पुत्र श्री रूघाराम उम्र 33 वर्ष जाति जाट महला साकिन सिधमुख तहसील राजगढ जिला चुरू का हुँ।

जिसे आगे क्रेता कहा गया है, एवं जो इस बैयनामा का द्वितीय पक्षकार हैं के मध्य निष्पादन किया गया हैं।

फोटो प्रति प्रमाणित

सहा.प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

2/2/2015

20,000/- क्र.सं. 6183 दिनांक 10-3-11

नाम मदनमोहन पिता/पति रामजीलाल ब्राह्मण

निवासी स्टे. तारानगर तह. तारानगर

मुद्रांक विक्रेता रामप्रताप शर्मा

मुद्रांक विक्रेता तहसील परिसर तारानगर (चूरू)

अनुज्ञा पत्रांक दिनांक 2010

मदनमोहन

कार्यालय उप पंजीयक, तारानगर

आज दिनांक 11/3/11 वार शुक्रवार

समय 3 P.M. बजे यह प्रलेख [illegible] मूल्य

रु. 565000/- का श्री मदन मोहन

पुत्र श्री रामजी लाल जाति ब्राह्मण

आयु 80 वर्ष निवासी तारानगर

तहसील तारानगर जिला चूरू पेशा [illegible]

ने पंजीयक हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत किया।

उप पंजीयक

तारानगर (चूरू)

मदनमोहन

मदनमोहन

फोटो प्रति प्रमाणित

सहा. प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय उप पंजीयक

तारानगर (चूरू)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN A 658167

उप कोष तारानगर

03 MAR 2011

जो कि ग्राम मिखाला तहसील तारानगर जिला चूरू की रोही में ग्राम मिखाला से बतरफ आथुण करीबन पांच किलोमीटर के फासले पर तारानगर–चंगोई सड़क पर मुझ प्रथम पक्षकार का खेत खातेदारी खसरा नं. 967/915 तादादी 10.09 बीघा खसरा नं. 970/969 तादादी 3.19 खसरा नं. 972/969 तादादी 0.08 बीघा कुल तादादी 14.16 बीघा बारानी दोयम असिंचित का वाके हैं। मुझ प्रथम पक्षकार का यह खेत खातेदारी इस वक्त मुझ प्रथम पक्षकार के ही कब्जा व दखल में हैं। कही पर भी बैय रहन व अन्य किसी भी तरह से हस्तान्तरण किया हुआ नहीं हैं। हर प्रकार के भार से मुक्त हैं व किसी न्यायालय में विवादित नहीं हैं। मुझ प्रथम पक्षकार का यह खेत खातेदारी बालू रेत के टिब्बों का हैं। इसमें इस वक्त एक ही फसल तैयार होती हैं तथा इस खेत खातेदारी में सिंचाई का कोई भी साधन नही हैं। केवल वर्षा से ही कृषि उत्पादन होता हैं। मुझ प्रथम पक्षकार का यह खेत खातेदारी तारानगर से चंगोई की सड़क पर स्थित हैं। मुझ प्रथम पक्षकार को इस वक्त रूपयों की शख्त जरूरत हैं। खेत खातेदारी के बेचे बिना रूपयों की जरूरत पूर्ण नहीं हो सकती।

फोटो प्रति प्रमाणित

सहा.प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय उप पंजीयक

तारानगर (चूरू)

20,000/- क्र 6129 दिनांक 10-2-11

क्र. मदनमोहन पिता/पति रामनिवास जाति ब्राह्मण

निवासी ....

स्टे. ....

मुद्रांक विक्रेता रामनिवास शर्मा

मुद्रांक विक्रेता तहसील परिसर तारानगर (चूरू)

अनुज्ञा पत्रांक दिनांक 2010

श्री लक्ष्मी ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट आरूसर द्वारा अधिकृत श्री श्रीनारायण पुत्र राधारमण जाति ... (क्रेता)

उक्त प्रलेख के निष्पादक श्री मदन मोहन

पुत्र रामनिवास जाति ब्राह्मण

निवासी ... तहसील ...

पेशा खेती उम्र 80 वर्ष (विक्रेता)

ने उक्त दस्तावेज को भली प्रकार से पढ़ लिखकर व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु0 565000/- कार्यालय से बाहर प्राप्त करना स्वीकार किया।

उप पंजीयक

तारानगर (चूरू)

मदनमोहन

श्रीराम LTI श्रीराम

फोटो प्रति प्रमाणित

सहा. प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय उप पंजीयक

तारानगर (चूरू)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

A 658168

उप कोष तारानगर

03 MAR 2011

ऐसी सूरत में खेत खातेदारी खसरा नं. 967/915 तादादी 10.09 बीघा में से आथुणे पासे की 5.15 बीघा की खातेदारी भूमि के कुल हक हकुक खातेदारी को व खसरा नं. 970/969 तादादी 3.19 बीघा में से आथुणे पासे की 2.05 बीघा की खातेदारी भूमि के कुल हक इस प्रकार कुल तादादी 8.00 बीघा वाके रोही ग्राम मिखाला तहसील तारानगर जिला चुरू की खातेदारी भूमि के कुल हक हकुक खातेदारी को आज दिन मुझ प्रथम पक्षकार ने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी भी दबाब व बहकाव के होश व हवास व अपनी स्वतन्त्र इच्छा से बिल एवज रू. 565000/—अंके रूपये पांच लाख पैन्सट हजार में श्री लक्ष्मी ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट आदमपुर जरिए सचिव श्री शीशराम पुत्र श्री रुघाराम जाति जाट महला साकिन सिधमुख तहसील राजगढ जिला चुरू के हक में बैय व फरोक्त कतई तोर पर कर दी हैं यानि बेच दी हैं तथा मुझ द्वितीय पक्षकार क्रेता ने अपनी स्वेच्छा से खरीद कर ली हैं तथा इस खातेदारी भूमि बिक्री की कुल कीमत के रूपयें मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता ने क्रेता वर्तमान सचिव श्री शीशराम श्री लक्ष्मी ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट आदमपुर से नगद प्राप्त कर लिया हैं तथा कब्जा इस बेची हुई खातेदारी भूमि पर ट्रस्ट के वर्तमान सचिव श्री शीशराम का करा दिया हैं। क्रेता ने मौके पर अपना कब्जा कर भी लिया हैं। अब इस दस्तावेज बैयनामा की रूह से क्रेता अपने नाम से इन्तकाल खातेदारी का मुताबिक बैयनामा के दर्ज करायें।

शीशराम

फोटो प्रति प्रमाणित
सहा. प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

20000 क्र.सं. 6123 दिनांक 10-3-11
नाम [illegible] पिता/पति रामजीलाल जाति ब्राह्मण
निवासी तारानगर वार्ड न. तारानगर

मुद्राक विक्रेता रामप्रसाद शर्मा
मुद्राक विक्रेता तहसील परिसर तारानगर (चूरू)
अनुज्ञा पत्रांक दिनांक 2010

पंजीयन नियमावली की धारा 63 के अन्तर्गत निष्पादक को शपथ दिलाई जाकर मजमून दस्तावेज एवं Title के सन्दर्भ में पूछे जाने पर सही होना स्वीकार किया

उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

उक्त निष्पादकों की पहचान 1, श्री पवन कुमार
पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण
आयु 43 वर्ष पेशा [illegible] निवासी तारानगर
2) श्री सत्यवीर पुत्र श्री [illegible]
जाति जाट आयु 30 पेशा [illegible]
निवासी तारानगर तहसील तारानगर
जिला चूरू ने की

उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

Satyaveer

फोटो प्रति प्रमाणित
सहा. प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN A 658169

उप कोष तारानगर

03 MAR 2011

अब क्रेता हर तरह से इस बेची हुई खातेदारी भूमि का उपयोग व उपभोग अपने हक में करें,वक्त जरूरत बैय रहन व अन्य किसी भी तरह से हस्तान्तरण करें मुझ विक्रेता व मेरे किसी भी वारिस व हकदार को कोई उजर नहीं होगा।जो हक हकूक खातेदारी के मुझ प्रथम पक्षकार विक्रेता को हाशिल हैं वेह तमाम आज के बाद इस बेची हुई खातेदारी भूमि पर क्रेता को हाशिल होंगे। अब दस्तावेज बैयनामा की बाबत मैं व मेरे किसी भी वारिस व हकदार को कोई भी उजर नही होगा। अगर कोई भी उजर व एतराज करेगा तो वह हर तरह गलत व झुठा होगा ओर इसकी कुल जिम्मेवारी मुझ विक्रेता की हैं।दस्तावेज बैयनामा की छाया प्रति भविष्य में अगर अस्पष्ट या अपठनिय हो जाने पर विभाग की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी इसके लिए मैं विक्रेता ही उतरदायी हुँ।

राजस्थान कास्तकारी कानुन सन 1955 की धारा 42 के अर्न्तगत हकुक खातेदारी बेचने का अधिकार मुझ खातेदार को प्राप्त हैं। खसरा नं. 967/915 में से बेची हुई खातेदारी भूमि का आसा–पासा इस प्रकार से हैं।

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
खेत जुगलकिशोर बेनीवाल व भीखमचन्द ब्राहम्ण	रास्ता आम	बाकी भूमि विक्रेता	खेत सुरज शर्मा

2/1/2015

फोटो प्रति प्रमाणित

सहा.प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

क्र.सं. 6183 दिनांक 10-3-11

नाम पिता/पति ________

निवासी ________

स्टाम्प विक्रेता रामप्रसाद शर्मा
स्टाम्प विक्रेता तहसील परिसर तारानगर (चूरू)
लाइसेंस क्रमांक दिनांक 2010

स्टाम्प ड्यूटी	20000
पंजीयन फीस	5800
मिलान फीस	300
इन्डोर्समेन्ट फीस	8980
अन्य फीस	2900
प्रति देय स्टाम्प राशि	
कुल	37980

पंजीयन लिपिक

उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

स्टाम्प ड्यूटी की अतिरिक्त देय राशि
रुपय. 8980 रसीद संख्या 34
दिनांक 11/3/11 से प्राप्त की गई अतः
अब यह दस्तावेज कुल रुपये 28980 —
के स्टाम्प पर निष्पादित माना जायेगा।

उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

अतः यह प्रलेख निष्पादक के स्वीकार करने
तथा पहचान कर्ताओं के विश्वास पर पंजीयन
शुल्क 5800 — अन्य शुल्क 2900
पृष्ठांकन शुल्क 300 कमी स्टाम्प 8980
कुल रु. 17980 रसीद संख्या 34
दिनांक 11/3/11 द्वारा लिये जाकर तस्दीक
पंजीयन स्वीकार किया जाता है।

उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

फोटो प्रति प्रमाणित
सहा. प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

खसरा नं. 970/969 में से बेची हुई खातेदारी भूमि का आसो–पासो इस प्रकार से हैं।

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
रास्ता आम	सड़क तारानगर से चंगोई	बाकी भूमि विक्रेता	खेत सुरजदेवी शर्मा

अतः यह दस्तावेज बैयनामा मैने मेरी स्वेच्छा से बिना किसी भी दबाव व बहकाव के होश हवास से व मेरी स्वंतत्र इच्छा से स्टाम्प कीमती रू. 20000/– व एक पाई पेपर पर लिख दिया हैं। कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें। दिनांकः–11.03.2011

गजानन्द शर्मा
प्रलेख लेखक, तारानगर(चूरू)
अनुज्ञा पत्र–6/01
क.सं. 30

गवाहः–श्री पवनकुमार पुत्र श्री द्वारकाप्रसाद जाति ब्राह्मण साकिन तारानगर

गवाहः– श्री सत्यवीर रूलानिया पुत्र श्री नोरंगलाल जाति जाट साकिन तारानगर

Satyaveer

(1.) रजिस्टर नम्बर 466
(2.) प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम
(3.) प्रार्थना पत्र देने की दिनांक 29.09.2021
(4.) नकल तैयार करने की दिनांक 29.09.2021
(5.) नकल देने की दिनांक 29.9.2021
(6.) प्रतिलिपिकार का नाम

फोटो प्रति प्रमाणित
सहा.प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

इस दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई काट - छट नही है, जिसका की नोट दिया जा सके ।

उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

आज दिनांक 11/3/11 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 229 के पृष्ठ संख्या 17 क्रम संख्या 917 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 161 पृष्ठ संख्या 49-53 पर चस्पा किया ।

उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)

फोटो प्रति प्रमाणित
सहा. प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय उप पंजीयक
तारानगर (चूरू)